

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 114

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2020 /14 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

काला धन

114. श्री प्रताप सिम्हा:

श्री दीपक (देव) अधिकारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विदेश में जमा काले धन और देश के अंदर इसके परिचालन का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या विमुद्रीकरण के पश्चात् काले धन के आंकड़ों में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषतः विदेश में जमा काले धन की पहचान करने/इसे वसूल करने में मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) देश के अंदर और विदेश में जमा कितना काला धन वसूल किया गया है; और
- (च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) तथा (ख): देश के भीतर तथा विदेश में जमा काले धन की राशि के संबंध में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। तथापि, सरकार ने राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय अनप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईईआर) तथा राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ देश के भीतर तथा बाहर बेहिसावी आय तथा धन का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन आरंभ किया था। उनसे संबंधित रिपोर्टें तथा सरकार की विस्तृत प्रतिक्रिया वित्त संबंधी स्थाई समिति के समक्ष रखने हेतु लोक सभा सचिवालय को अग्रेषित की गई थीं। समुचित विचार-विमर्श एवं आवश्यक मौखिक साक्ष्य लेने के उपरान्त वित्त संबंधी स्थाई समिति ने इस मामले पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट अर्थात् वित्त संबंध स्थाई समिति की 73वीं रिपोर्ट माननीय लोक सभा अध्यक्ष को दिनांक 28.03.2019 को प्रस्तुत की थी।

(ग): नोटबंदी के उपरान्त नवम्बर, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान 900 समूहों पर तलाशी कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप 900 करोड़ रू. की जब्ती की गई जिसमें 636 करोड़ रू. की नकदी तथा 7961 करोड़ रू. की अप्रकटित आय की स्वीकारोक्ति शामिल है। उसी अवधि के दौरान 8239 सर्वेक्षण किए गए जिसके फलस्वरूप 6745 करोड़ रू. की अप्रकटित आय का पता चला।

ऐसे उन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए तथा एसएमएस एवं ई-मेल भेजे गए जिन्होंने पर्याप्त नकदी राशि जमा की थी किन्तु विवरणी दाखिल करने की नियम तिथि तक अपनी आय विवरणी दाखिल नहीं की थी। परिणामस्वरूप, ऐसे 2.09 लाख अभिज्ञात नानफाइलर द्वारा विवरणी दाखिल की गई तथा उन्होंने 6,531 करोड़ रू. का स्व-निर्धारण कर संदत्त किया।

कर निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए संभावित कर देयताओं वाले विवरणी दाखिल न करने वालों हेतु इलैक्ट्रॉनिक अभियान भी चलाया गया। लक्षित नानफाइलरों द्वारा कुल 13000 करोड़ रू. से अधिक का स्व-निर्धारण कर संदत्त किया गया।

वर्ष 2017-18 के लिए निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण की राशि 10.03 लाख करोड़ रू. थी जोकि वर्ष 2016-17 के संग्रहण से 18% अधिक है। वर्ष 2016-17 का संग्रहण भी वर्ष 2015-16 के लिए संग्रहण से 14.6% अधिक था। दूसरी ओर, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2014-15 में विकास दर क्रमशः 6.6% तथा 9% मात्र थी। नोटबंदी के वर्ष तथा उसके बाद के वर्ष में प्रत्यक्ष कर राजस्व में सुदृढ़ वृद्धि देश में कर अनुपालना के स्तर पर नोटबंदी के सकारात्मक प्रभाव की परिचायक है।

(घ) तथा (ड.): सरकार विदेश में जमा काले धन सहित काले धन के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस संबंध में विभिन्न कार्रवाइयां की है। इसके अतिरिक्त, काले धन के विरुद्ध मुकाबले में इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकारी तंत्र की आवधिक समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत करों के अपवंचन/काले धन के विरुद्ध समुचित कार्रवाई में तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का निर्धारण, करों का उद्ग्रहण, अर्थदण्ड आदि तथा फौजदारी मामलों में अभियोजन शिकायतें, जहां कहीं लागू हो, दायर करना शामिल है।

गत तीन वर्षों के दौरान तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयों में आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई परिसम्पत्ति का मूल्य निम्नतया है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य(करोड़ रू. में)
1.	2016-17	1469.62
2.	2017-18	992.52
3.	2018-19*	1584.11

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 01 जुलाई, 2015 से इस अधिनियम के लागू होने से निरंतर तथा ठोस कार्रवाई की है। इसके फलस्वरूप 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत 422 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें 12600 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी परिसंपत्ति तथा आय अन्तर्ग्रस्त हैं।

विदेशी परिसंपत्ति/आय मामलों की कुछ उल्लेखनीय श्रेणियों पर आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार है:

- एचएसबीसी में बताए नहीं गए विदेशी बैंक खातों में की गई जमाओं के कारण अब तक 8460 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय पर कर लगाया गया है और 1290 करोड़ रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूला गया है।

- (ii) अंतर्राष्ट्रीय खोज पत्रकार संघ द्वारा इन मामलों में की गई सतत जांच से अब तक अघोषित विदेशी खातों में क्रेडिट की 11010 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का पता चला है।
- (iii) पनामा पेपर लीक जांच में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला है।

(च): सरकार ने काले धन के विरुद्ध अपनी लड़ाई में अनेक कदम उठाए हैं। हाल के वर्षों में किए गए इन उपायों में कुछ शामिल हैं:-

- (i) काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम 2015 का अधिनियमन जो विशेष रूप से तथा ज्यादा प्रभावी ढंग से विदेश में रखे गए काले धन के मामले पर कार्रवाई करने के लिए 01 जुलाई, 2015 से प्रभाव में आया है।
- (ii) अन्य बातों के साथ-साथ बेनामी संपत्ति की जब्ती में सक्षम होने तथा बेनामीदार तथा लाभप्रद स्वामी के अभियोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 को संशोधित करने के लिए बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन।
- (iii) काले धन के संकट का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में बहुत से विधायी उपबंध किए हैं।
- (iv) संगत मामलों में प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई तथा तीव्र जांच।
- (v) उच्च जोखिम मामलों की पहचान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा डाटा विश्लेषण टूल्स का व्यापक प्रयोग, संदेहास्पद मामलों की तीव्र ई-सत्यापन तथा समुचित मामलों में परिणामी प्रवर्तन कार्रवाई।
- (vi) आधार को पैन के साथ अनिवार्यतः लिंक करना जो न केवल पैन के डिडुप्लीकेशन में सहायक होगा परंतु संभावित कर जालसाजी तथा धन शोधन को रोकने में भी सहायक होगा।
- (vii) भारत दोहरे कराधान परिहार संबंधी समझौते (डीटीएए)/कर सूचना विनिमय समझौते (टीआईईए)/बहुपक्षीय सम्मेलनों के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने तथा इसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से लगा है।
- (viii) भारत स्वतः सूचना आदान-प्रदान के रूप में ज्ञात वित्तीय सूचना के अग्रसक्रिय साझेदारी हेतु बहुपार्श्विक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों में एक प्रमुख शक्ति रहा है जिससे कर अपवंचन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में बहुत ही मदद मिलेगी। सामान्य रिपोर्टिंग मानक पर आधारित स्वतः सूचना का आदान-प्रदान 2017 से शुरू हुआ है जिससे भारत अन्य देशों में भारतीय निवासियों की वित्तीय खाता सूचना प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।
- (ix) भारत ने यूएसए के विदेशी खाता कर अनुपालना के अंतर्गत यूएसए के साथ सूचना हिस्सेदारी करार निष्पन्न किया है। विदेशी खाता कर अनुपालना अधिनियम के अंतर्गत आदान-प्रदान वित्तीय वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 तथा 2018 में हुआ है।
